जिला गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रपत्र VI

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसुचना

(अधिनियम 30 / 2013 की धारा–11 (1) के अधीन),

अधिसूचना संख्या :–150 / भू0अ0 — दिनांक :– **22.02.2019**

असाधारण अंक सं0– 09 — धनबाद, — दिंनाकः– 03.06.2019

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :– पण्डुकी, थाना :– गोविन्दपुर थाना सं0 :– 90 अंचल :– गोविन्दपुर जिला :– धनबाद में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना अंतराज्यीय बस अड्डा निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0 ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा–निम्न हैः–

''अंतराज्यीय बस अड्डा के निर्माण में कुल–01 (एक) राजस्व ग्राम में भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त परियोजना के निर्माण से अन्तराज्यीय में अवागमन सुविधाजनक हो जाएगी। इस परियोजना का लागत लाभ अनुपात घनात्मक है, लाभान्वित व्यक्तियों के सकल आय में बढ़ोत्तरी करेगी। इसके आलावे रोजगार का सृजन और आय में वृद्धि भी होगी।''

भू अर्जन के कारण कुल XXXX परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम – पण्डुकी, थाना – गोविन्दपुर, थाना सं0–90, अंचल – गोविन्दपुर जिला–धनबाद में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.8300** एकड़ यानि 0.336 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

कम सं0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ	द	पू0	प0
1	11	1307	रैयती	नई परती	0.11	उमेश कुमार सिंह पिता –बाल किशोर सिंह,	1308	1306	1309	1282
2	12	1309 P	रैयती	पुरानी परती	0.14	उमेश कुमार सिंह पिता –बाल किशोर सिंह, पजाब हाजरा पिता सुमन्त हाजरा	1280	1305	1310	1308
3	61	1291	रैयती	बाईद	0.20	डोमन महतो वो चौडाई महतो पिता जोगी महतो	1295	1290	1503	1292

4	64	1290	रैयती	बाईद	0.13	डोमन महतो वो चौडाई महतो पिता जोगी महतो ,बलाई महतो वो शिवचरण महतो वो धिरज महतो पिता कालेश्वर महतो, मंगरू महतो वो पगलु महतो पिता सुखी महतो, मौसमात दुरपति महताईन पति सुखी महतो, वो दशरथ महतो वो महेश्वर महतो वो बिछु महतो पिता रतन महतो वो मौसमात नुनिया महताईन पति रतन महतो वो किष्टो महतो पिता साधु महतो, नाहित फातमा पिता आरस अजुम	1291	1289	1503	1292
5	177	1288	रैयती	बाईद	0.11	साचु महताईन पति–रामनाथ महतो, मन्सु महतो वो हुबल महतो पिता अर्जुन महतो, वो फागु महतो पिता राम महतो ,सोमा भट्टाचार्य पति डॉ0 प्रोजस भट्टाचार्य, रूप भट्टाचार्य पति सत्यव्रत भट्टाचार्य	1289	1503	1503	1292
6	61	1289	रैयती	बाईद	0.14	डोमन महतो वो चौडाई महतो, पिता जोगी महतो	1290	1288	1503	1292
कुल					0.83					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/–
समाहर्त्ता
–सह–
समुचित सरकार